जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांकःजीविवि/परीक्षा-2/गोप./2018/947 दिनांक : 25.07.2018

**// MOST-URGENT **

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष,
समस्त सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय/अध्ययनशालाएं,
जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- परीक्षा संचालन राशि रू. 175/- एवं अग्रेषण शुल्क राशि रू. 13/- कुल राशि रू. 188/- प्रति छात्र की राशि संबंधित परीक्षा केन्द्र पर जमा कराने बावत्।
संदर्भ :- विश्वविद्यालय की पूर्व अधिसूचना क्रमांक : जीवि/परीक्षा-2/2017/1310 दिनांक 31/10/2017 एवं क्रमांकःजीविवि/परीक्षा-2/गोप./2017/1434 दिनांक : 29.11.2017

महोदय,

उर्पयुक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके महाविद्यालय के छात्रों की परीक्षाएं किसी दूसरे महाविद्यालय एवं परीक्षा केन्द्र पर सम्पन्न हो रही हैं तो आप परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व रूपए 188/- प्रति छात्र के हिसाब से कुल अग्रेषित परीक्षा आवेदन पत्रों की राशि संबंधित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष को जमा करायें। अन्यथा आपके महाविद्यालय के परीक्षार्थियों की परीक्षाएं परीक्षा केन्द्र पर सम्पादित नहीं करायी जावेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके महाविद्यालय के प्राचार्य का रहेगा।

यदि किसी महाविद्यालय के वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष द्वारा आपके महाविद्यालय के द्वारा परीक्षा संचालन शुल्क की राशि जमा न करने की शिकायत की गयी तो आपके महाविद्यालय के छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जावेगा तथा आपके महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

परीक्षा अत्यावश्यक कार्य में निर्देशों का तत्काल पालन कर परीक्षा कार्य में सहयोग प्रदान करें।

भ व दी य

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4. समस्त वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, (परीक्षा केन्द्र) को इस निर्देश के साथ कि उनके परीक्षा केन्द्र पर अन्य महाविद्यालयों के परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने हैं तो संबंधित महाविद्यालय से परीक्षा संचालन की राशि प्राप्त कर ही उनके परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करायें। विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से आपके परीक्षा केन्द्र को कोई भी परीक्षा संचालन की राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)

बिपिन पत्र